भारत सरकार /Government of India
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय /Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय /Directorate General of Mines Safety
उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर /Udaipur Region, Udaipur
झामरकोटडा मैन रोड़, सेक्टर-6, हिरणमगरी, उदयपुर 313 002 (राजस्थान)
दूरभाष:(0294) 246 5517, ई-मेल:nwz.dgms@gmail.com

2021
जन भागीदारी से जन कल्याण

संख्या: उ.क्षे.( उ.प.जो. )/शिकायत-02/2020/ 282 दिनांक: 30.04.2020
1/5/2020

सेवा में,
निदेशक,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
'खनिज भवन' शास्त्री सर्किल,
उदयपुर 313 001 ( राजस्थान )

विषय: राजस्थान में खान मज़दूरों की स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के खान विभागों के मध्य परस्पर समन्वय के संबंध में खान मज़दूर सुरक्षा अभियान (MLPC)की ओर से श्रम मंत्रालय को प्रस्तुत सुझावों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत खान मज़दूर सुरक्षा अभियान (MLPC)की ओर से संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ( भारत सरकार ) को लिखे पत्र की छायाप्रति आपके अवलोकन हेतु संलग्न है, जो स्वत: स्पष्ट है।

1.0 विदित हों कि खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ( केन्द्र सरकार एंट्री 55-संघ सूची-अनुच्छेद 246 ) के अधीनस्थ एक नियामक एजेंसी है, जो खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत विनिर्मित नियमों/विनियमों के तहत विभिन्न खनन क्षेत्र ( कोयला, धातु एवं तेल ) में कार्यरत व्यक्तियों के व्यावसायिक सुरक्षा हित एवं कल्याण विषयक नीतियों के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन करती है। इसका उ.प. आंचलिक कार्यालय उदयपुर में अवस्थित है, जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यालय; उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर में संचालित है।

2.0 इस विभाग के अलावा खनिक्षेत्र में भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्य कार्य Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 2015 के तहत सभी गैर-कोयला खानों के खनिज संसाधनों का संरक्षण, भू-वैज्ञानिकी अध्ययन और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

2.1 किसी भी खदान में खनिकार्य खान एवं भू-विज्ञान विभाग ( राज. सरकार ) द्वारा खनिजों के लीज़ के आवंटन के पश्चात ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होता है। इसके अलावा खानों में विस्फोट के कार्यों हेतु पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक्सप्लोसिव एक्ट, 1984 के तहत ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक का नियमन विधित नियमों के अंतर्गत किया जाता है, और खदानों में इस्तेमाल खान अधिनियम, 1952 के तहत होता है।

2.2 अत: खानों में उपरोक्त दर्शित सभी विभाग यथा; खान सुरक्षा महानिदेशालय, खान एवं भू-विभान विभाग, भारतीय खान ब्यूरो एवं पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के अंतर्गत विनिर्मित विभिन्न विनियमों के अंतर्गत खनन कार्य संचालित होता है। इन सभी विभागों में कुछ गतिविधियों का कार्य एक-दूसरे के नियमों से मेल खाता है, अत: सभी विभागों में परस्पर समन्वय ( कॉ-ऑर्डिनेशन ) यदि होगा तो खान में कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा तथा नियमों की अनुपालना की अनदेखी भी नहीं होगी।

3.0 खान मज़दूर सुरक्षा अभियान (MLPC) के पत्र में उल्लेखित बिंदुओं को ध्यानाकर्षित करते हुए खान मज़दूरों के स्वास्थ्य, व्यावसायिक हितों एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मध्य परस्पर सामंजस्य रखने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित हैं।

3.1 राजस्थान में खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ओर से यद्यपि 33,000 से अधिक खदानों की लीज़ स्वीकृत हैं, किंतु सूचना के अभाव में खान सुरक्षा निदेशालय, उदयपुर क्षेत्र कार्यालय के रिकॉर्ड में इसके कार्यक्षेत्र में अवस्थित दक्षिणी राजस्थान के आठ जिलों ( उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, सिरोही एवं जालौर ) की लगभग 5000 स्वीकृत

लीज़ों में से केवल 1146 खदानें ही सूचीबद्ध हैं जिसका मुख्य कारण दोनों विभागों की कार्यप्रणाली में सामंजस्य की कमी होना है।

इसके निराकरण स्वरूप खनन नीति के तहत यह सूनिश्चित किया जाए कि खान मालिक द्वारा खान खोलने की सूचना धात्वीय खान विनियम, 1961 के विनियम 3 के अनुसार निर्धारित फार्म-। में खान सुरक्षा निदेशालय को दी जाए साथ ही खान के उचित रखरखाव हेतु उचित अर्हता प्राप्त खान प्रबंधक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इस शर्त का उल्लंघन होने पर रवन्ना/परमिट रोक देना उचित उपाय हो सकता है।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार का खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ओर से किसी खदान के संदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग की अनुमति के उपरांत ही "Consent to operate" जारी किया जाता है, उसी प्रकार ही खान प्रबंधन को "Consent to operate" जारी करने पूर्व खान मालिक द्वारा खनन संक्रियाएं आरंभ करने की सूचना फार्म-। में एवं धात्वीय खान विनियम, 1961 के विनियम 34( 1 ) के अंतर्गत खान पर उचित अर्हता प्राप्त खान प्रबंधक की नियुक्ति की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशालय को दी गई है, यह भी अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए, तो यह खान मज़दूरों की स्थिति में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

3.2 खान एवं भू-विज्ञान विभाग की ओर से स्वीकृत पुरानी लीज़ जिनकी साईज 1 हैक्टेयर से कम हैं, वहां पर खान अधिनियम/विनियम/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराना संभव नहीं होता है। सुरक्षित एवं वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित खनन सुनिश्चित कराने हेतु 10 हैक्टेयर से कम साईज की लीज़ स्वीकृत नहीं की जाए। यह सुझाव है कि किसी खनन क्षेत्र में आस-पास की छोटी-छोटी खदानों के क्लस्टर की इकाई बनाकर खान अधिनियम/विनियम/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कराई जा सकती है। इस हेतु राज्य की खनन नीति में यथावश्यक बदलाव करना आवश्यक होगा।

3.3 यद्यपि राज्य सरकार ने राजस्थान माईनर मिनरल्स कंशेसन रूल्स, 2017 के अंतर्गत खदान में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हता एवं कर्त्तव्यों के साथ-साथ खनन परिचालन के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा पर विस्तारपूर्वक परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने खान अधिनियम, 1952 एवं धात्वीय खान विनियम, 1961 के अंतर्गत खनन परिचालन की परिस्थितियों नियमबद्ध किया गया है। किंतु दोनों की नियमों में असंगतता है, जिसे संलग्न अनुलग्नक-'ए' में स्पष्ट किया गया है।

3.4 खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से खदानों के निरीक्षणोपरांत गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर प्रबंधन को दिए गए उल्लंघन पत्र की प्रति एवं अति गंभीर उल्लंघनों उपरांत खान अधिनियम, 1952 की धारा 22( 3 ) के अंतर्गत लगाई गई निषेधाज्ञा की सूचना खान एवं भू-विज्ञान विभाग को दी जाती है, किंतु इस संबंध में उनकी ओर से क्या कार्यवाही की गई, इसकी सूचना इस कार्यालय प्राप्त नहीं होने पर अनुवर्ती कार्यवाही में सहयोग प्राप्त नहीं होता है। इस विषय पर दोनों विभागों को यथोचित समाधान प्राप्त करने की आवश्यकता है।

4.0 खदानों में सुरक्षा हितार्थ 11$^{th}$ सम्मेलन की सिफारिश सं॰ 1.9.5 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की दिशा में खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग के खनि-अधिकारियो/खनि-अभियंताओं को खनन क्षेत्र में नियामक सुरक्षा कानून के तहत स्थापित अद्यतन विधायी नियम/प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से दिनांक 23 एवं 24.05.2017 को दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम (Orientation Progrmme)/कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें खान एवं भू-विज्ञान विभाग के तत्कालीन निदेशक श्री डी.एस. मारू भी उपस्थित थे। इन अनुकूलन शिविर में राजस्थान राज्य के उदयपुर, राजसमन्द, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जालौर एवं सिरोही जिलों के खनि अधिकारियों सहित गुजरात एवं मध्यप्रदेश राज्य के खनि अधिकारी/अभियंता भी सम्मिलित हुए थे।

उक्त कार्यशालाओं में खान सुरक्षा निदेशक ने खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हितों पर प्रकाश डालते हुए साइंटिफिक तरीकों से खनन के लिए लीज़होल्ड एरिया को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों की ओर से *माईनिंग मेथड्स, ब्लास्टिंग प्रोसीजर्स, माईनिंग सेफ्टी लेजिसलेशन एवं सिलिकोसिस* के सम्बन्ध में तकनीकी /विधायी विचार-विमर्श एवं प्रजेंटेशन प्रस्तुत किये गये। दोनों विभाग एकमत से सहमत थे कि खदानों डस्ट को रोकने के उपाय लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ दोनों विभागों को खनिकर्मियों के लिए जागरूकता कैम्प एवं स्वास्थ्य जांच कैम्प आयोजित करने हेतु संयुक्त कार्यवाही की रूपरेखा तैयार की

जा सकती है। इस संबंध में खान एवं भू-विज्ञान विभाग जब भी कोई बैठक/कार्यशाला का आयोजन करे तो सूचना प्राप्त होने पर इस विभाग से एक अधिकारी बैठक में सम्मिलित होकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर सकेगा।

इसी क्रम में इस समस्या के निवारण हेतु खान सुरक्षा निदेशालय की ओर से विगत वर्षों में अपने अधीन कार्यक्षेत्र के खनिक्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए जिनमें खान मालिकों/खनिकर्मियों को सुरक्षित खनन के संबंध में अवगत कराया गया एवं खनिकर्मियों के स्वास्थ्य जाँच के कैम्प लगाए गए। भविष्य में भी दोनों विभागों के सामंजस्य से उपरोक्त कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना उचित रहेगा।

5.0 राजस्थान में विभिन्न जिलों में छोटी-छोटी खदानें/क्लस्टर संचालित हैं, जहाँ कार्यरत खनिकर्मियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार के DMFT (District Mines Foundation Trust) के अंतर्गत राशि के उपयोग से क्लस्टर के अनुसार छोटी खदानों के कामगारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र/कौशल विकास केंद्र आरंभ किए जा सकते हैं, जहाँ श्रमिकों को प्रशिक्षित कर पर्यवेक्षक/प्रबंधकों का कौशल विकास किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग के ऑनलाईन पॉर्टल पर Integrated Lease Mining System (ILMS) में खान शुरू होने की सूचना की जानकारी एवं खान पर सक्षम प्रबंधक की नियुक्ति के प्रावधान अनिवार्य किये जायें, जिसके बगैर रवन्ना ( परमिट ) निर्गत ना हो ताकि इस महानिदेशालय के खान अधिनियम, 1952 की पालना सुनिश्चित हो सके। पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त वर्णित बिंदुओं/सुझाओं के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली में यथावश्यक समन्वय स्थापित करना राज्य में खान मज़दूरों की स्थिति में सुधार की दिशा में निश्चय ही सकारात्मक पहल सिद्ध होगी।

भवदीय,
ह.-
( अशोक कुमार पोरवाल )
खान सुरक्षा निदेशक,
उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर

ज्ञापन संख्या: उ.क्षे.( उ.प.जो. )/शिकायत-02/2020/ 1283-1294 दिनांक: 30.04.2020
1/5/2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, उदयपुर ( राजस्थान )
2. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, राजसमंद ( राजस्थान )
3. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान )
4. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, प्रतापगढ़ ( राजस्थान )
5. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, बाँसवाड़ा ( राजस्थान )
6. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, डूँगरपुर ( राजस्थान )
7. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, सिरोही ( राजस्थान )
8. जिला कलक्टर, जिलाधीश कार्यालय, जालौर ( राजस्थान )
9. श्री डी.पी. गौड़, एस.एम.ई.- उदयपुर, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, गोवर्धन विलास, उदयपुर ( राज. )
10. श्री ए.के. नंदवाना, एस.एम.ई.- राजसमंद, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, बाईपास रोड़, राजसमंद ( राज. )
11. श्री ओ.पी. काबरा, एस.एम.ई.- भीलवाड़ा, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, आजाद नगर, उदयपुर ( राज. )
12. श्री धर्मेन्द्र लोहार, एस.एम.ई.- जोधपुर, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, 6-वेस्ट पटेल नगर, रातानाड़ा, जोधपुर ( राज. )

30.04.2020

( अशोक कुमार पोरवाल )
खान सुरक्षा निदेशक,
उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर